<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>प्रकरण संख्या–अपीलडि/टीए/3171/2003/सीकर</u>

भंवरी पत्नि श्री जगदीश जाति जाट निवासी बगड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

–अपीलार्थी

बनाम

1– हरदयालसिंह दत्तक पुत्र बल्लूराम मृतक जरिये विधिक वारिसानः–

1/1 श्रीमति नारायणी पत्नि स्व0 हरदयालसिंह जाट निवासी बगड़ी।

1/2 बद्रीनारायण पुत्र श्री हरदयाल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बगड़ी तह0 लक्ष्मणगढ़।

1/3 रामचन्द्र पुत्र श्री हरदयाल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बगड़ी तह0 लक्ष्मणगढ़।

1/4 राजेश पुत्र श्री हरदयाल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बगड़ी तह0 लक्ष्मणगढ़।

1/5 श्रीमति विमला पुत्री हरदयालसिंह पत्नि सम्पतसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर छोटा तह0 फतेहपुर जिला सीकर।

1/6 श्रीमति सुमित्रा देवी पुत्री हरदयालसिंह पत्नि बलबीरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम कोडा तवरान जिला सीकर।

2– जगदीश पुत्र बक्साराम

3– हरकोरी पत्नि बक्साराम (नाम तर्क आदेश दि015–9–21 द्वारा)

4– रणजीत पुत्र बक्साराम

5– सोहनी पत्नि रणजीत

समस्त जाति जाट निवासीगण बगड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

6– रूकमणी पुत्री बक्साराम पत्नि सतपालसिंह जाति जाट निवासी बीबीपुर छोटा तह0 फतेहपुर जिला सीकर।

7– तहसीलदार तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः–

श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री मुकेश जैन व श्री समीर अहमद, अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 22.10.2021

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा अपील सं0 49/2003 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 23–06–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0 1 वादी/ ने प्रत्यर्थी सं0 2 से 6 व अपीलार्थी के विरूद्ध एक वाद बाबत् दावा बटवारा, घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 का उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 7 एक ही खानदान के है। वादी के अनुसार उनके परिवार के मूल पुरूष ईश्वरराम थे, जिनके दो पुत्र बल्लूराम व बक्साराम हुए। बल्लूराम लाऔलाद फौत हुआ है। बक्साराम के 4 संतान हरदयाल, रणजीत,जगदीश पुत्र एवं रूकमणी पुत्री हुई। हरकौरी बक्सा की बेवा है हरदयाल, बल्लाराम के गोद गया है। प्रतिवादी सं0 4 हरकौरी बक्सा की बेवा है। प्रतिवादी सं0 6, प्रतिवादी सं0 1 रणजीत पुत्र बक्साराम की पत्नि है। भंवरी प्रतिवादी सं0 5, प्रतिवादी सं0 2 की पत्नि है। स्व0 बल्लूराम ने वादी हरदयाल को मिती चैत्र सुदी 9 सम्वत् 2015 में उसके बाल्यकाल में गोद ले लिया था। स्वर्गवासी बल्लूराम व बक्साराम दोनों सगे भाई थे जिनके शामलाती खाते व कब्जे काश्त में पैतृक भूमि खसरा नं0 59 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा, 210 रकबा 17 बिस्वा, 241 रकबा 6 बिस्वा, 284 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, 208 रकबा 13 बिस्वा, 136 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, 277 रकबा 5 बीघा, 59 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा, 210 रकबा 17 बिस्वा, 241 रकबा 7 बिस्वा, 325 रकबा 10

बीघा 14 बिस्वा, 277 रकबा 29 बीघा 5 बिस्वा, 69 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा एवं 411 रकबा 23 बीघा कुल 137 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम बगड़ी रोही में स्थित है इसमें बल्लूराम व बक्साराम का आधा आधा हिस्सा था। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के स्वर्गवासी पिता बक्साराम ने वृद्धावस्था में बहकावे में आकर दिनांक 20-12-72 को भूमि खसरा नं0 325 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, 277 रकबा 29 बीघा 5 बिस्वा, 39 रकबा 19 बिस्वा का एक अवैध नुमाईशी बिना दखल बख्शीशनामा मु0 भंवरी पत्नि जगदीश तथा खसरा नं0 69 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा का बख्शीशनामा मु0 सोहनी पत्नि रणजीत उर्फ जीताराम के नाम से तस्दीक करवा दिया। यह बख्शीशनामें शुरू सें ही वादी के हक व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व शून्य है, जिनके आधार पर प्रतिवादी सं0 5 व 6 को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। इसी प्रकार स्वर्गवासी बल्लूराम ने अपनी मनमर्जी से बिना किसी प्रकार की बदल के भूमि खसरा नं0 284 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, 208 रकबा 13 बिस्वा, 136 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, 277 रकबा 5 बिस्वा, 59 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा, 210 रकबा 17 बिस्वा, 241 रकबा 5 बिस्वा का गलत व अवैध बख्शीशनामा वादी की पत्नि मु0 नारायणी के नाम से दिनांक 20-12-72 को करवा दिया था जो वादी के हक व हकूको के मुकाबले प्रभावहीन व शून्य है। वादी प्रारम्भ से अपने दत्तक पिता के 1/2 हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अब प्रतिवादी सं0 1 से 7 ने साजिश कर ली है व अवैध बख्शीशनामों की आड़ में वादी को बेदखल करना चाह रहे है अतः वाद, वादी स्वीकार कर उपरोक्त वर्णित भूमियों में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर खाता अलग कायम किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाब्रंद किया जावें। उक्त वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी सं0 1,6 व 7 ने जवाब दावा पेश कर वादी के वाद कथन को अस्वीकार किया। प्रतिवादी सं0 2 से 4 व 7 ने जवाबदावा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 27-03-2003 द्वारा वादी का वाद डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23-06-2003 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी का तर्क है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी बिन्दू पर गौर किए बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजी बल्लूराम व बक्साराम की स्वअर्जित सम्पति है और जागीर के समय से ही बहिस्सा बराबर खाते में दर्ज है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने उक्त सम्पति को पैतृक सम्पति नहीं माना है उसके बावजूद भी बख्शीशनामा दिनांक 20–12–1972 अवैध मानकर गलत फाईंडिंग दी है जबकि सन् 1972 से ही अपीलार्थी का कब्जा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जगदीश अपीलार्थीया को छोड़कर दूसरी पत्नि ले आया था इसलिए उसके हक में भरण पोषण के लिए दिनांक 20–12–1972 को पंजीकृत बख्शशीनामे द्वारा खसरा नं0 325, 277, 39बीघा भूमि दी गई थी। वादी हरदयाल ने उक्त भूमि हड़पने की नीयत से गलत दावा पेश किया है। अपीलांट सन् 1972 से काबिज होने के कारण उसे मुखालफाना कब्जे के आधार पर भी अधिकार प्राप्त हो चुके है। उक्त सम्पति पैतृक सम्पति है, ऐसी कोई साक्ष्य हरदयाल की ओर से पेश नहीं की गई। बख्शीशनामा को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बख्शीशनामा को अवैध मानने में भूल की गई है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने इन तर्को का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि हरदयाल, बल्लूराम के गोद गया यह तथ्य निर्विवादित है और विचारण न्यायालय द्वारा तनकियों का विवेचन सही रूप से करते हुए वादी का 1/2 हिस्सा मानकर कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। बख्शीशनामा अवैध होने के कारण वादी का वाद डिक्री किया गया है और प्रतिवादिया भंवरी की अपील भी सही रूप से खारिज की गई है। बख्शीशनामा द्वारा सम्पूर्ण खसरा नंबर दिया गया है जबकि बख्शीशकर्ताओं का 1/2–1/2 हिस्सा ही बनता था। उक्त सम्पति बक्सा व बल्लूराम की स्वअर्जित सम्पति है, ऐसी साक्ष्य पेश नहीं की गई है तो उपधारणा यही रहेगी कि उक्त सम्पति पैतृक है। अपीलार्थी की अपील खारिज की जावें।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों को अवलोकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादग्रस्त सम्पत्ति पैत्रिक मानते हुए और वादी का मृतक बल्लूराम की सम्पत्ति में आधा हिस्सा गोद का पुत्र मानते हुए और उक्त सम्पत्ति में आधा हिस्सा होने के आधार पर ओर भूमि का विभाजन नहीं होने के आधार पर उन बख्शीशनामों को वादी के अधिकारों पर शून्य मानते हुए दावा डिक्री किया गया है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त सम्पत्ति को पुश्तैनी नहीं माना लेकिन विवादित सम्पत्ति का विधिवत बंटवारा नहीं होने व बख्शीशनामें में सम्पूर्ण खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं होने के आधार पर विवेचना करते हुए प्रतिवादी रेस्पोडेन्ड की अपील खारिज की गयी है।

8– अब मण्डल के समक्ष प्रश्न है कि क्या उक्त बख्शीशनामा वादी रेस्पोडेन्ट के अधिकारों पर प्रारम्भतः शून्य है और वादी विवादित सम्पत्ति में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

9 दौराने बहस वादी रेस्पोडेन्ट हरदयाल सिंह को मृतक बल्लूराम का दत्तक पुत्र होने के बारे में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से कोई आपत्ति नहीं है और यह स्वीकार किया है कि हरदयाल सिंह मृतक बब्लूराम के गोद गया था और उनका दत्तक पुत्र है और यह भी स्वीकार किया कि मृतक बल्लूराम की सम्पत्ति में वादी को अधिकार प्राप्त होते है लेकिन उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति स्वअर्जित होने और बहुत पहले से बंटी होने और उसके आधार पर बक्साराम व बल्लूराम द्वारा बख्शीशनामा दिनांक 20–12–1972 को होना और उनका विधिनुसार निष्पादन होने का तर्क किया है।

10– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि वादपत्र के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जो वादपत्र के पैरा नम्बर–3 में वर्णित आराजी पैत्रिक हो। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2012–15 के अनुसार दोनों भाईयों के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है। पैत्रिक होने का कोई उल्लेख नहीं है और उससे पहले की कोई जमाबन्दी वादी की ओर से पेश नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि उक्त सम्पत्ति पैत्रिक हो। प्रतिवादी अपीलान्ट की ओर से यह उज्र लिया गया कि उक्त सम्पत्ति का बंटवारा

पूर्व में हो चुका था, इस तर्क के परिप्रोक्ष्य में दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य निम्न प्रकार आई है–

पी.डब्ल्यू–1 वादी हरदयाल का कथन है कि बल्लूराम ओर बक्साराम के गांव में खाते की जमीन 138बीघा थी ओर यह जमीन दोनों भाईयों की आधी आधी थी। आगे यह भी कथन किया कि मेरे गोद जाने के बाद कुछ खसरा नम्बर शामलाती में और कुछ अलग–अलग काश्त करते थे लेकिन जिरह में यह स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 284 व 136 सम्पूर्ण पर नारायणी का कब्जा है व प्रतिवादीगण सारी भूमि अलग अलग काश्त करते है और नारायणी मेरे शामिल में काश्त करती है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि नारायणी वादी की पत्नी है और उसके हक में बख्शीशनामा लिखा गया है। इस गवाह ने आगे जिरह में यह स्पष्ट कथन किया कि बक्साराम व बल्लूराम अलग अलग हो गये थे पर काश्त शामिल करते थे, अलग अलग काश्त नहीं की जबकि ऊपर बयानों में कथन किया कि प्रतिवादीगण अलग अलग काश्त करते है और वादी का गवाह पीडब्ल्यू–2 जवाहराराम ने कथन किया कि हरदयाल व इसके घर वाले 45बीघा जमीन पर काश्त करते है बाकी सारी जमीन रणजीत, जगदीश की काश्त में है लेकिन यह गवाह भी अलग अलग काश्त का कथन करता है। लेकिन पीडब्ल्यू–3 लक्ष्मणसिंह ने मुख्य परीक्षण में ही कथन किया कि करीब 110बीघा कच्ची जमीन पर हरदयाल व उसकी औरत काश्त करती है बाकी सारी जमीन रणजीत व जगदीश काश्त करते है और जिरह में स्पष्ट कथन किया कि बक्साराम व बल्लूराम अलग अलग हो गये थे। हरदयाल ओर रणजीत ने यह जमीन कभी शामिल में काश्त नहीं की। हरदयाल की जितनी जमीन हिस्से में आई उतनी काश्त करते है और रणजीत व जगदीश के जितनी जमीन हिस्से में आई वे स्वयं काश्त करते है अर्थात् वादी का यह गवाह स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों का अलग अलग हिस्सा होना और उसी पर काबिज होना और उसी के अनुसार काश्त करना कहता है। डीडब्ल्यू–1 रणजीत सिंह ने उक्त जमीन बक्सा व बल्लू की स्वअर्जित होना और सम्वत् 2016 से पहले ही अलग अलग हो जाने का कथन किया है और बख्शीशनामा होने का कथन किया है। जिरह में यह स्पष्ट कथन किया कि बल्लूराम व बक्साराम दोनों के बराबर के खाते की जमीन है। डीडब्ल्यू–2 फूलसिंह ने कथन किया कि वह पक्षकारान की

जमीन जानता है, हरदयाल 115बीघा पर काश्त करता है और रणजीत व जगदीश भी इतनी जमीन काश्त करता है। जिरह में इसने कथन किया कि बल्लूराम व बक्साराम 50साल पहले ही अलग हो गये और अलग होने के बाद बल्लूराम के गोद चला गया। डीडब्ल्यू–3 जगदीश जिसने इकबाली जवाबदावा पेश किया है और वादी के कथनों का समर्थन किया है। इस प्रकार इन गवाहों के मौखिक कथनों के अनुसार बल्लूराम व बक्साराम दोनों अलग अलग खसरा नम्बर पर काश्त करते थे और उसी के अनुसार उनका हिस्सा व कब्जा है।

11– इन मौखिक साक्ष्य के अलावा राजस्व रिकार्ड भी अभिलेख पर है जिसके अनुसार प्रदर्श–1 जमाबन्दी ग्राम बगडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर सम्वत् 2012 से 15 की है, जिसमें काश्तकार के नाम के रूप में बल्लू व बक्सा दर्शाया गया है और बक्सा खुदकाश्त 69 रकबा 01बीघा 13बिस्वा, 325 रकबा 10बीघा 14बिस्वा, 411 रकबा 24बीघा और बल्लू खुदकाश्त 136 रकबा 16बीघा 11बिस्वा, 208 रकबा 13बिस्वा, 210 रकबा 01बीघा 14बिस्वा, 241 रकबा 13बिस्वा, 284 रकबा 12बीघा 02बिस्वा दर्शाया गया है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 17 की है उसमें बक्साराम खुदकाश्त 69, 325, 411 बल्लू खुदकाश्त 136, 208, 210, 241, 284 दर्शाया गया है और उसी अनुसार प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 में अंकित है। प्रदर्श–5 के अनुसार कुछ भूमियों को भंवरी, सोहनी व नारायणी के नाम आई है, जो लाल स्याही से दर्ज हुई है और प्रदर्श–6 में भी नारायणी, भंवरी और सोहनी के नाम जमाबन्दी में हिस्से से आई है और इसी प्रकार प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8 में भी इनका विवरण है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड प्रदर्श–1, 2, 3 से यह स्पष्ट है कि दोनों भाई अलग अलग काश्त करते थे और जिनका विवरण उसमें अंकित किया हुआ है।

12– प्रदर्श डी–1 बहक नारायणी पत्नी हरदयाल वादी एवं प्रदर्श–डी–2 बहक भंवरी व सोहनी रेस्पोडेन्ट बख्शीशनामा है और इनकी सत्यता के बारे में कोई आक्षेप नहीं है व छल, कपट भूल आदि तरीके से करवाया गया हो ऐसा वादी का कोई मामला नहीं है। प्रदर्श–डी–1 व डी–2 दोनों एक ही दिन दिनांक 20–12–1972 को दोनों भाईयों द्वारा तहरीर व तकमील

करवाये गये है और दोनों पर गवाह भी मेवा राम ओर लादूराम नामक व्यक्ति है और इन दोनों बख्शीशनामों में अपनी अपनी जमीन पर अधिकार होना का स्पष्ट उल्लेख है। प्रदर्श–डी–1 व डी–2 में लिखी गयी इबारत कि ''भाई बंट में मेरे हिस्से व पांती में आई हुई है। जमीन के अपने तमाम अधिकार खातेदारी व काश्तकारी को मैने आज प्रदर्श–डी–1 के अनुसार नारायणी और प्रदर्श–डी–2 के अनुसार भंवरी ओर सोहनी को प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है'' और इन तथ्यों के खण्डन में भी अभिलेख में कोई साक्ष्य नहीं है और दोनों दस्तावेज पंजीकृत बख्शीशनामा है और उनकी सत्यता संदिग्ध नहीं है तो उनमें लिखे तथ्यों को नहीं मानने का कोई कारण भी नहीं है।

13– इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी अविभाजित सम्पत्ति नहीं है बल्कि दोनों भाईयों बल्लूराम व बक्साराम के मध्य बंटी हुई आराजियात है और प्रत्येक का अपना अपना हिस्सा है और उसी के अनुसार काबिज रहे है। वादी रेस्पोडेन्ट का यह तर्क कि जमीन बिना बंटी हुई है, मानने योग्य नहीं है और जब बक्साराम व बल्लूराम सम्वत् 2012 में ही अलग अलग भूमि पर काबिज है तो उन्हें अपने कब्जेशुदा और मालिकाना हक की सम्पत्ति का बख्शीश करने का पूर्ण हक व अधिकार था और साक्ष्य के अनुसार वादी के गोद जाने से पहले ही दोनों भाई बक्साराम व बल्लूराम अलग अलग हो गये थे। ऐसी स्थिति में सम्पत्ति के बारे में यह अवधारण कि भूमि पैत्रिक रही है, कतई मानने योग्य नहीं है और विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी नहीं माना है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के यह निष्कर्ष की उक्त सम्पत्ति बिना बंटी हुई है और उसमें से खसरा विशेष का बख्शीशनामा नहीं हो सकता भी विधि विरूद्ध है और उक्त सम्पत्ति पूर्व में सम्वत् 2012 से ही विभाजित होने का इन्द्राज होने के कारण से बक्साराम व बल्लूराम द्वारा अपनी अपनी जमीन को स्वेच्छा बख्शीश करने का पूर्ण अधिकार था और उसे वादी को चुनौती देने का अधिकार शेष नहीं रहता है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार भंवरी देवी, सोहनी देवी और नारायणी देवी बख्शीशनामा प्रदर्श–डी–1 व डी–2 के आधार पर खातेदारी उनके नाम दर्ज हो चुकी है और खातेदार के विरूद्ध कोई स्थाई निषेधाज्ञा विधित् जारी

नहीं की जा सकती। अतः वादी का यह वाद खारिज किये जाने और अपील स्वीकार किये जाने येाग्य है।

14– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपील संख्या 49/2003 दिनांक 23–06–2003 व विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ, सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–03–2003 को अपास्त किया जाकर वादी का वाद संख्या–315/2002 हरदयालसिंह बनाम रणजीत वगैराह को खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष